न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1536 / 2025
उत्पन्न परिवाद पत्र संख्या :–500 / 2024

1. जगदीश यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता–तेतर यादव
2. चंद्रिका देवी उम्र लगभग 48 वर्ष पति–जगदीश यादव
3. चंदन यादव उम्र लगभग 30 वर्ष पिता–जगदीश यादव
4. कंचन देवी उम्र लगभग 35 वर्ष पिता–जगदीश यादव
5. सज्जन देवी उम्र लगभग 27 वर्ष पिता–जगदीश यादव
साकिन–रूपौली, वार्ड नं0–03, थाना–गम्हरिया, जिला–मधेपुरा।
–आवेदकगण / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

26–03–2026 प्रार्थी अभियुक्तगण 1. जगदीश यादव 2. चंद्रिका देवी 3. चंदन यादव 4. कंचन देवी 5. सज्जन देवी का अग्रिम जमानत आवेदन जो परिवाद पत्र संख्या–500 / 2024 अन्तर्गत धारा–85, 126(2), 115(2), 303(1), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार सिंह द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

Satish Kumar 26.03.26

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई आपराधिक कृत्त नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवादिनी अपने पति सह–अभियुक्त नंदन यादव के साथ अलग रहते है तथा उनके वैवाहिक संबंध मे आवेदकों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आगे कहते है कि अभियुक्त नंदन यादव गरीब तथा मजदूरी करने वाला व्यक्ति है जिसे परिवादिनी के पिता द्वारा नौ लाख रूपये उपहार देने की संभावना ही नहीं है एवं अन्य सभी आरोप अस्वभाविक और स्पष्ट रूप से झूठे है। परिवादिनी के जिससे परिवाद में भी अनेक विरोधाभास है। आवेदकों मे चार महिलाए है जिनका परिवादिनी के वैवाहिक एवं दैनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तो को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि परिवादिनी मनीषा कुमारी का विवाह दिनांक 14.07.20 को सह अभियुक्त नंदन यादव के साथ हुई थी। शादी में परिवादिनी के माता–पिता द्वारा तीन लाख रूपया तथा पलंग, मोटरसाइकिल इत्यादि उपहार के रूप दिया गया।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1536/2025
उत्पन्न परिवाद पत्र संख्या :–500/2024

लगातार
26–03–26

– शादी के बाद अपने ससुराल 10–15 दिनो तक परिवादिनी ठीक–ठाक से रह रही थी। परंतु कुछ दिनों के बाद ससुराल वालों (आवेदक) द्वारा रूपये आदि की मांग किया जाने लगा तथा मांग पूरी नहीं किये जाने पर पागल कहकर परिवादिनी के साथ मारपीट गाली–गलौज करते हुए प्रताड़ित करने लगे तथा हत्या करने का भी प्रयास किया गया। घटना के संबंध में अपने माता–पिता एवं पडोसियों को जानकारी दिया तथा पंचायती भी बैठी परंतु जिसका कोई लाभ नहीं हुआ जिसके उपरांत परिवादिनी का सभी सोना, चांदी, बैंग, साडी इत्यादी छीनकर घर से निकाल दिया गया एवं अब अपने मायके मे रह रही है। परिवादिनी का कथन है कि गर्दन में जख्म एवं सम्पूर्ण शरीर में मारपीट का इलाज भी कराई है।

उभय पक्षों को सुना। निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख एवं परिवाद पत्र का अवलोकन किया। आवेदकों के विरूद्व धारा– 85, 126(2), 115(2), 303(1), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया है। आवेदकों के विरूद्ध परिवादिनी के साथ दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित एवं मारपीट करने व घर से निकाल देने का अभियोग है। यद्यपि जॉच साक्ष्य मे साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है परंतु आवेदकों मे परिवादिनी के सास, ससुर, भैंसुर एवं विवाहिता ननद सभी सम्मिलित है जो कि परिवादिनी के पति से भिन्न है। ऐसा प्रतित होता है कि आवेदकों को पति का नातेदार होने के कारण नामजद किया गया है। मारपीट का कोई विशिष्ट अभियोग आवेदकों के विरूद्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण द्वारा मो. 20,000/– रू. के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे आदेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी अथवा आत्म–समर्पण की स्थिति में धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. का अंडर टेकिंग न्यायालय के संतुष्टि के आलोक में बंध–पत्र दाखिल करेंगे तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित
Satish Kumar
26.03.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।